भाग – II

(संबन्धी उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है।)

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या .....

7-	परियोजना स्कीम का स्थान	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड़ जौनपुर में रायपुर–कुमाल्डा–कद्दूखाल मोटर मार्ग के कि0मी0 15 से रगड़गांव मोटर मार्ग (कुल लम्बाई–15.675 किमी0) के निर्माण हेतु 9.887 है0 वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत् गैर वानिकी कार्यों हेतु पी0एम0जी0एस0वाई0, सिंचाई खण्ड. को प्रत्यावर्तन का प्रस्ताव।
(i)	राज्य /संघ शासित क्षेत्र	उत्तराखण्ड राज्य
(ii)	जिला	टिहरी गढ़वाल
(iii)	वन प्रभाग	मसूरी वन प्रभाग।
(iv)	वनेतर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (हैक्टेअर में)	9.887 हैक्टर वन भूमि
(v)	वन की कानूनी स्थिति	3.570 हैक्टर, आरक्षित वन भूमि महीपुर कक्ष सं0 – 1 3.885 हैक्टर, आरक्षित वन भूमि रिंगालगढ़–1, रिंगालगढ़–7 एंव कुण्ड़ कक्ष सं0 – 7 2.432 हैक्टर, वन पंचायत एंव सि0सो0 एंव भूमि ग्राम जैन्तवाड़ी, चिफल्डी, ग्वालडांडा, तौलियाकाटल एंव रगड़गांव। **9.887** हैक्टर
(vi)	हरियाली का घनत्व	0.3 से 0.4
(vii)	प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाये)। सिंचाई/जलीय परियोजनानाओं के सम्बन्ध में एफ.आर.एल., एफ.आर.एल.–2 मीटर पर परिगणना और एफ.आर.एल.–4 मीटर भी संलग्न किये जाए)	प्रस्तावित निर्माण स्थल पर विभिन्न प्रजाति/व्यास वर्ग के (आरक्षित वन भूमि–295, सिविल सोयम /वन पंचायत भूमि – 72 तथा नाप भूमि– 68) कुल 435 वृक्ष अवस्थित हैं, जिसमें मात्र 01 बांज वृक्ष (सिविल सोयम /वन पंचायत भूमि) सम्मिलित है। प्रस्तावित स्थल पर अवस्थित कुल वृक्षों एंव वास्तविक रूप से प्रभावित /वाधित होने वाले वृक्षों की गणना/मूल्यांकन सूची प्रस्ताव के संलग्नक– प्रपत्र–19, 19.1, 19.2, 19.3, 20 (1), (2) व (3) पर चस्पा है।
(viii)	भूक्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी	इस बावत वरिष्ठ भू–वैज्ञानिक(से0नि0) लो0नि0वि0 देहरादून की दो पृष्ठीय भू–गर्भीय आख्या प्रस्ताव के संलग्नक प्रपत्र –33 के साथ पर चस्पा है।
(ix)	वनेतर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी	प्रस्तावित /चयनित स्थल आरक्षित वन भूमि महीपुर कक्ष सं0–1, रिंगालगढ़–1, रिंगालगढ़–7 एंव कुण्ड़ कक्ष सं0 – 7 तथा ग्राम जैन्तवाड़ी, चिफल्डी, ग्वालडांडा, तौलियाकाटल एंव रगड़गांव की वन पंचायत एंव सिविल सोयम भूमि की सीमा अन्तर्गत है।
(x)	क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, जैवमण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कोरीडोर, आदि का भाग है।(यदि हां, क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणियां अनुबंधिति की जाए)	नहीं। इस बावत प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रस्ताव के संलग्नक प्रपत्र –25 पर तत्संबंधी प्रमाण पत्र चस्पा है।
(xi)	क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियां पायी जाती है।यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा दें।	नहीं।

(xii)	क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठापन और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है। यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाणपत्र के साथ, यदि अपेक्षित हो, दें।	नहीं। इस बावत प्रस्तावक /लो0नि0वि0 एंव राजस्व विभाग द्वारा प्रस्ताव के संलग्नक प्रपत्र –37 पर तत्संबंधी प्रमाण पत्र चस्पा है।
8.	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भाग–1 कालम 2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नहीं, तो जांचे गये विकल्पों के ब्यौरों के साथ मद–वार संस्तुत क्षेत्र क्या है।	इस बावत प्रस्तावक विभाग एंव वन विभाग द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र प्रस्ताव के संलग्नक प्रपत्र –14 पर चस्पा है।
9.	क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है (हां/नहीं) यदि हां, तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गई कार्रवाई सहित कार्य का ब्यौरा दें क्या उल्लंघन संबंधी कार्य अभी भी चल रहे हैं।	नहीं
10.	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा	प्रस्तावित कार्य के निर्माण हेतु अपेक्षित 9.887 है0 के बदले दुगने 19.774 है0 क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु ग्राम रगड़गांव सिविल सोयम भूमि का चयन किया गया है। क्षतिपूरक वृक्षारोपण का प्राक्कलन एंव मानचित्र प्रस्ताव के संलग्नक प्रपत्र 42 व 42 ए पर चस्पा है।
(i)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेतर क्षेत्र/अवक्रमित वन क्षेत्र, आस पास के वन से इसकी दूरी, भू–खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू–खण्ड का आकार।	क्षतिपूरक वृक्षारोपण का प्राक्कलन प्रस्ताव के संलग्नक प्रपत्र 42 व 42 ए पर चस्पा है। साथ ही प्रस्तावित मार्ग के दोनों ओर रिक्त स्थानों पर उचित वृक्षारोपण हेतु प्राक्कलन प्रस्ताव के संलग्नक प्रपत्र 46 पर चस्पा है।
(ii)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेतर/अवक्रमित वन क्षेत्र, और आस–पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप।	उक्तानुसार।
(iii)	रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यान्वयन एजेंसी, समय अनुसूची लागत ढांचा आदि।	प्रजातियां:– जलवायु के अनुरूप मिश्रित प्रजातियां। कार्यान्वयन एजेन्सी:– स्वयं वन विभाग। समय:– उच्च स्तर से स्वीकृति प्राप्त होने पर। **लागत:–** क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु रू0 55,17,567-00 (रू0 पचपन लाख सत्रह हजार पॉच सौ सड़सठ मात्र)
(iv)	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय।	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु रू0 55,17,567-00(रू0 पचपन लाख सत्रह हजार पॉच सौ सड़सठ मात्र)
(v)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र (सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए)	प्राक्कलन प्रतिहस्ताक्षरित व प्रमाणित हैं।
11.	उप वन सरंक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपर्युक्त कालम 7 (xi, xii), 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें)	फील्ड स्तर के अधीनस्थ वन अधिकारी, फील्ड स्टाफ, राजस्व विभाग एंव प्रस्तावक विभाग की संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट प्रतिहस्ताक्षरित कर प्रस्ताव के संलग्नक प्रपत्र– 4 व प्रपत्र–6 पर चस्पा है। तत्कालीन प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा वर्णित क्षेत्र का निरीक्षण दि0 12–7–2016 को किया गया है, जो कि संलग्नक प्रपत्र–7 संयुक्त निरीक्षण के साथ चस्पा है। अद्योहस्ताक्षरी द्वारा भी वर्णित क्षेत्र का निरीक्षण दि0 10–7–2018 को किया गया है,
12.	विभाग/जिला प्रोफाइल	मसूरी वन प्रभाग/जिला– टिहरी गढ़वाल
(i)	जिले का भौगोलिक क्षेत्र	4421 वर्ग कि0मी0
(ii)	जिले का वन क्षेत्र	4058.90 वर्ग कि0मी0

(iii)	मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेतर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र	कुल मामलों की संख्या 93 है। वनेतर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र 979.9032 है0 है, इसमें आरक्षित वन क्षेत्र 516.5694 है0 है।
(iv)	1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण (क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि :– (ख) वनेतर भूमि पर:–	 (क) 227.0912 हैक्टेयर (ख) रिक्त
(v)	अब तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति (क) वन भूमि पर (ख) वनेतर भूमि पर	 (क) 1– 188.90 है0 /448.98 में प्रभाग के अंतर्गत क्षतिपूरक वृक्षारोपण किया जा चुका है। (ख) रिक्त
13.	प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के संबंध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश	प्रस्तावित निर्माण कार्य प्रश्नगत क्षेत्र की तकनीकी एंव स्थानीय विधि एंव नियमों के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तावक विभाग के स्तर पर करवाना होगा। अतः संयुक्त निरीक्षण रिर्पोट एंव प्रस्ताव में प्राप्त प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों के अनुसार तथा अद्योहस्ताक्षरी द्वारा प्रश्नगत् भूमि का स्थलीय निरीक्षण किये जाने के उपरान्त प्रभाग स्तर से संस्तुति की जाती है।

हस्ताक्षर

दिनांकः 25 07 –2018।

नामः– (कहकशां नसीम)
प्रभागीय वनाधिकारी
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी

स्थानः– मसूरी,

सरकारी मुहर